प्ररूप-ख

[देखिए नियम 9(3),(4) और (6)]

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला चूरू

क्रमाक-राजस्व/2017/578-582

दिंनाक-30.05.2017

संपरिवर्तन आदेश

आवेदक महाराज पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान सांखणताल जिरए अध्यक्ष राजेश कुमार पुत्र बजरंगलाल जाति जाट निवासी सांखणताल तहसील राजगढ जिला चूरू के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृत में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू—राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम,2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है,जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई है—

 आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम,पिता/पित का नाम सिहत तथा पूरा पता— महाराज पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान सांखणताल जिए अध्यक्ष राजेश कुमार पुत्र बजरंगलाल जाति जाट निवासी सांखणताल तहसील राजगढ जिला चूरू

2. क्या आवेदक अनुसुचित जाति या अनुसुचित जनजाति का सदस्य है- नहीं।

3. संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा-

(क) ग्राम- सांखणताल -ग्रा. पंचायत सांखणताल तहसील का नाम-राजगढ

(ख) भूमि की खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का कूल क्षेत्रफल — ग्राम रोही सांखणताल के खसरा नम्बर 409 रकबा 4.43 हैक्टयर

(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल हैक्टयर में या वर्गमीटर में)—

रोही सांखणताल के खसरा नम्बर 409 रकवा 4.43 हैक्टयर में से 4050 वर्गमीटर मिनी अकृषित प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुए,राजस्व नक्शे के मुक्तित भाग की सम्यक रूप से प्रमाणित प्रति सलंग्न है।

रवर्तन का प्रयोजन- शैक्षणिक संस्थान

5. नदिय संपरिवर्तन प्रभारो की दर-5 रूपये प्रति वर्गमीटर

6. चालान की संख्या और तारीख जमा करायी गयी प्रीमीयम की रकम— चालान संख्या 0016987275 दिंनाक 29.05.2017 राशि 20250 रूपये।

7. चालान की संख्या और तारीख सहित शास्ति,यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम—

> महाराज पिल्लिक स्कूल संस्थान संज्ञाताल (चूरू)

- चालान की संख्या और तारीख सहित ब्याज,यदि कोई हो, की जमा करायी गयी
- 9. क्या आदेश विनिमियतिकरण के लिए नियम 13 के अधीन किया गया है-नहीं 10. अन्य विशिष्टिया यदि कोई हो- भूमि खाली है।

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्ययीन होगा-

(क) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(ख) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करवायी गई प्रीमीयम धनराशि समपहत हो जावेगी।

(ग) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग कृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(घ) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया कि हितंत भूमि मे निर्माण सडक के मध्य से 50 मीटर छोडकर किया जावेगा।

दिनाक 30.05.2017

कमाक-राजस्व / 2017

प्रतिलिपी-निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतू-

- 1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, चूरू
- 2. तहसीलदार राजगढ
- 3. उप पंजीयंक राजगढ
- √5. आवेदक महाराज पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान सांखणताल जरिए अध्यक्ष राजेश कुमार पुत्र वजरंगलाल जाति जाट निवासी सांखणताल तहसील राजगढ जिला चूरू

महाराज पब्लिक स्कूल संस्थान सांखणताल (चूल)